रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2015/आषाढ़ 2, 1937
No. 405] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2015/ASHADHA 2, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2015

सा.का.नि. 508(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और महानिदेशक, मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये 1 जनवरी 2015 से प्रवृत्त समझे जाएँगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र और महानिदेशक, मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 1 के सामने महानिदेशक, (मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन) के पद से संबंधित, स्तंभ (13) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

1. सचिव, —अध्यक्ष
   इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

2.	सचिव या उसका प्रतिनिधि जो अपर सचिव की श्रेणी से कम का न हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	—सदस्य
3.	सचिव या उसका प्रतिनिधि जो अपर सचिव की श्रेणी से कम का न हो, जैव - प्रौद्योगिकी विभाग	—सदस्य
4.	अपर सचिव या समतुल्य अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	—सदस्य"।

[फा. सं. 1(2)/2015-कार्मिक III]

तपन राय, अपर सचिव

अनुसूची के क्रम संख्यांक 1 के सामने के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है और उस पद पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उपर्युक्त पद के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना में संशोधन किया जाना अपेक्षित है और इन नियमों के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2015 से अर्थात् रोजगार समाचार में क्रम संख्यांक 1 में महानिदेशक, (मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन) के पद को भरने के लिए विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के पूर्ववर्ती तारीख से प्रभावी किया जाना अपेक्षित है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 31(अ), तारीख 18 जनवरी, 2011 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2015

G.S.R. 508(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology, Director General, National Informatics Centre and Director General, Standardisation, Testing and Quality Certification Group 'A' Post Recruitment Rules, 2010, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology, Director General, Standardisation, Testing and Quality Certification Group 'A' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 1st day of January, 2015.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology, Director General, National Informatics Centre and Director General, Standardisation, Testing and Quality Certification Group 'A' Post Recruitment Rules, 2010, against serial number 2, relating to the post of Director General, Standardisation, Testing and Quality Certification, under column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"The Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:—

1.	Secretary, Department of Electronics and Information Technology	—Chairman
2.	Secretary or his representative not below the rank of Additional Secretary, Department of Science and Technology	—Member

3.	Secretary or his representative not below the rank of Additional Secretary, Department of Bio-Technology	—Member
4.	Additional Secretary or equivalent Officer, Department of Electronics and Information Technology	—Member".

[F. No. 1 (2)/2015-Pers.III]

TAPAN RAY, Addl. Secy.

The advertisement for recruitment to the post against Sl. number 2 of the Schedule has already been published and the process of recruitment is going on. The composition of Departmental Promotion Committee for the above said post is required to be amended and for the purpose these rules is required to be given effect from the 1st January, 2015 i.e. the date preceding to the date of publication of advertisement for filling up the post at Sl. number 2, i.e. Director General, Standardisation, Testing and Quality Certification, in the Employment News. It is hereby certified that no one will be adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 31(E), dated the 18th January, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.